राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 241/2025

राम स्वरूप यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार राजस्व मंडल, अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान।
3. अतिरिक्त रजिस्ट्रार राजस्व बोर्ड, अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर(भू–अभिलेख), अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भांवला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी का आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2025 (अनुलग्नलक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल बान्दसिंदरी तहसील किशनगढ से पटवार मण्डल बढगांव तह. किशनगढ में किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा स्थानांतरित दर्शाते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण बडगांव किशनगढ से पटवार मण्डल राममालिया तहसील भीनाय में किया गया है। अपीलार्थी

के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण 2 दिवस की अल्पावधि में किया गया है, जो गलत है।

3. हमने अपीलार्थी के तर्कों पर विचार किया। हम पाते है कि अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 13.01.2025 अनुलग्नक–1 पारित किया गया। जिसमें संशोधन करते हुए अपीलार्थी का स्थानांतरण नए स्थान पर किया गया है। पूर्व के आदेश दिनांक 13.01.2025 के स्थानांतरण आदेश की पालना होने से पूर्व ही अपीलार्थी का स्थानांतरण नए स्थान पर किया गया है। ऐसे में आलोच्य आदेश में कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं राजहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)